प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

[20/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 106]

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक–106

मध्यप्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के लिये विभाग द्वारा संचालित योजनायें –

क्र.	योजना का नाम	विवरण
1	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	विभाग द्वारा विभाग के स्वामित्व की 183–खेल अधोसरचनाओं का संधारण एवं रख–रखाव का कार्य।
2	खिलाड़ियों के लिये छात्रावास	ग्रामीण क्षेत्र के लोकप्रिय व्हालीबॉल खेल का प्रोत्साहन तथा व्हालीबॉल खेल प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित कर उन्हें आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षण प्रदान कराना। म0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में खेल और युवा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु नरसिंहपुर में हॉकी छात्रावास की स्थापना की गई है। जिसमें व्हालीबॉल का प्रशिक्षण हेतु 24–खिलाड़ियों को प्रवेश प्रदान कराने का प्रावधान है।
3	खेलों एम0पी0 यूथ गेम्स	प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में "खेलों एम.पी. यूथ गेम्स" का आयोजन विकास खण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर 24–खेलो में किया जाता है।
4	खेल कार्यक्रमों का आयोजन	योजना अंतर्गत चिन्हित खेलों के 02 आयु समूह (14 वर्ष से कम एवं 17 वर्ष से कम) के लिये विकास खण्ड से राज्य स्तरीय तक प्रतियोगिता आयोजित महिला एवं पुरूष वर्ग की जाती है। आयोजन में खिलाड़ियों की आवास, भोजन, परिवहन, टी शर्ट, खेल सामग्री, टेन्ट लाईट आदि व्यवस्था की जाती है। विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों में खिलाड़ियों के प्रवेश हेतु प्रतिभा चयन कार्यक्रम का आयोजन जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाता है। आयोजित प्रतियोगिओं, प्रतिभा चयन कार्यक्रम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित कर विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों प्रवेश दिया जाता है।
5	खिलाड़ियो को प्रोत्साहन	(1) प्रदेश के खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर उन्हें नगद पुरस्कार तथा खेल पुरस्कार (विक्रम, विश्वामित्र., एकलव्य, लाइफ टाईम एचिवमेन्ट व प्रभात जोशी पुरस्कार) खेल पुरस्कार से अलंकृत करना। (2) प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप एशियाड, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पदक प्राप्त किया हो उन्हें 55 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त रू. 12,000/–प्रतिमाह के मान से आजीवन सम्मान निधि। (3) राज्य स्तरीय संघ/संस्थाओं को विभिन्न स्तरीय अधिकृत प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान। (4) खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल

		प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु यात्रा किराया आदि। (5) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर नगद पुरस्कार। (6) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने वाले 19–वर्ष के कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को खेल वृत्ति। (7) चिन्हित जिलों में हॉकी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण। (8) विभाग द्वारा विभिन्न अधिकृत राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन। (9) विधायक ट्राफी का आयोजन। ब– खिलाड़ियों को प्रशिक्षण :– ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर प्रतिवर्ष 15 मई से 15 जून के मध्य ग्रीष्मकालीन अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रदेश के जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर आयोजित किये जाते है।
6	(5001)–म0प्र0 खेल प्राधिकरण को अनुदान	(1) म0प्र0 खेल प्राधिकरण की गतिविधियों का संचालन एवं कर्मचारियों का वेतन, भत्ते। (2) प्रदेश की खेल नीति को दृष्टिगत रखते हुए खेलों के विकास तथा उनका स्तर ऊंचा बनाने के लिये योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना। (3) बुनियादी खेल अधोसरचना तथा उपकरण उपलब्ध कराना तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण दे कर राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने व बने रहने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। (4) खेलों के विकास के लिये मिशन तैयार करना, जिसमें बुनियादी खेल अधोसंरचना, उपकरण की उपलब्धता इत्यादि शामिल हो। (5) ऐसी सभी कार्यवाही और कार्य करना जिसे प्राधिकरण उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सहायक अथवा प्रासंगिक समझता है। (6) जननिजी भागीदारी मॉडल पर खेल अधोसंरचना व खेल गतिविधियों का विकास करना। (7) सृजित सम्पत्तियों का संधारण, संरक्षण व अधिकतम उपयोग की कार्ययोजना तैयार करना।
7	(5159)–खेल अकादमियों की स्थापना (संचालन)	विभाग द्वारा 18–खेलों की 11–खेल अकादमी संचालित है यथा–हॉकी, शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्ट्स (रोइंग, क्याकिंग–कैनोइंग, सेलिंग) मार्शल आर्ट अकादमी (जूड़ो, फेन्सिग, ताईक्वांड़ो, बॉक्सिंग, कराते, कुश्ती) व एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स व ट्रायथलॉन, महिला हॉकी एवं बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर, क्रिकेट अकादमी शिवपुरी, तीरंदाजी अकादमी जबलपुर एवं तीरंदाजी सहायक केन्द्र भोपाल, झाबुआ, मण्डला, डे–बोर्डिंग बैडमिंटन/टेनिस सेन्टर भोपाल, फुटबॉल डे–बोर्डिंग फीडर सेन्टर महू इन्दौर, बॉक्सिंग डे–बोर्डिंग फीडर सेन्टर ग्वालियर, हॉकी फीडर सेन्टर, प्रशिक्षण केन्द्र दतिया व प्रशिक्षण केन्द्र, शिवपुरी की योजना संचालित है।

		अकादमी में प्रवेशरत् खिलाड़ियों को खेलों का अत्याधुनिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल उपकरण, आवास, भोजन, चिकित्सा, शिक्षण, परिवहन, बीमा, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता प्रदान कराई जाती है।
8	खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री का क्रय	जिला स्तर पर संचालित खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये अस्थाई प्रकार की खेल सामग्री की व्यवस्था।
9	स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना	योजना अंतर्गत जिलों में नवीन स्टेडियम में खेल मैदानों का समतलीकरण, लेण्डस्केपिंग, नवीन घास लगाने का कार्य, जिलों में निर्मित इंडोर स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में वुडन कोर्ट, सिंथेटिक बैडमिंटन व टेनिस कोर्ट का निर्माण तथा अन्य लघु निर्माण कार्य किया जाता है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं व माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ओपन जिम उपकरण, फिटनेस उपकरण एवं नागरिकों, विशेषकर युवाओं को शारीरिक व्यायाम हेतु ओपन जिम सेट मय बेस वर्क स्थापित किये जाते है।
10	प्रशिक्षकों को मानदेय	जिलों में खिलाड़ियों को विभिन्न खेल में प्रशिक्षण जिला खेल प्रशि 13–जिलों संचालित मलखम्ब प्रशिक्षण केन्द्र हेतु संविदा मलखम्ब प्रशिक्षक के पद स्वीकृत है। संविदा जिला प्रशिक्षक ग्रेड–1 को रू. 39,000/– प्रतिमाह, संविदा प्रशिक्षक ग्रेड–2 को रू. 34,300/– प्रतिमाह तथा मलखम्ब प्रशिक्षक को रू. 26,500/– प्रतिमाह मानदेय का भुगतान योजना अंतर्गत किया जाता है।
11	ओलम्पिक 2024	प्रदेश के प्रतिभावान व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ी आगामी ओलम्पिक गेम्स–2024 में देश का प्रतिनिधित्व कर पदक प्राप्त कर सकें। इस हेतु मार्शल आर्ट–कराते, ताईक्वांडो बॉक्सिंग, कुश्ती, तलवारबाजी एवं शूटिंग, तीरंदाजी व वाटर स्पोर्टस खेल के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चिन्हित खिलाड़ियों को अत्याधुनिक उच्च तकनीक व विदेशी प्रशिक्षकों के माध्यम से खेल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
12	मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु स्टेडियम आदि	विभागीय उपलब्ध खेल स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन, बिजली, पानी, रख रखाव एवं कार्यरत संविदा अमले को मानदेय एवं आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत् सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, ग्राउण्डमेन को भुगतान हेतु जिलों को आवंटन दिया जाता है।

6/3/25

संचालक
खेल और युवा कल्याण, म0प्र0